

Date  
27/02/20

stop

①  
अस्पृश्यता

27/2/20

(Untouchability)

अस्पृश्यता भारतीय ग्रामीण समाज में एक गंभीर समस्या रही है तथा यह जाति पुरा का ही नगण्य अंगिकाप है। अस्पृश्यता के नाम पर भयवा होने भोग्य न होने के कारण भारतीय समाज में अनेक जातियों को वर्षों तक अके मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया तथा उन्हें अनेक सामाजिक, मार्गिक एवं धार्मिक निर्मांगताओं के कारण अलग निम्न जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। इसीलिए अस्पृश्यता को भारतीय ग्रामीण समाज के लिए बड़ा बड़ा कलंक माना जाता है। गौरी जी के भाषणों में "अस्पृश्यता जिस रूप में आज हिन्दू धर्म में प्रचलित है। यह भगवान तथा मनुष्य दोनों के लिए ही विरुद्ध है। अतः अस्पृश्यता एक विषय की तरह है जो हिन्दू धर्म को खारज जा रही है। मेरे विचार से हिन्दू धार्मिकों में सामूहिक दृष्टि से इसकी कहीं भी स्वीकृति नहीं है।"

"हिन्दुओं का अद्वैत एक अनहोनी धरना है। ससार किसी-किसरे धर्मों में मानवता न इसका अनुभव नहीं किया। किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज ही नहीं - न ही प्रारंभिक समाज में और न वर्तमान समाज में।"





Date \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

डॉ० भम्बेडकर :- मर्त्य एवं परिभाषा

भारतीयता शब्द से सामाजिक मानमानता का बोध होता है यह जाति प्रथा के आधार पर निर्धारित वह व्यवस्था है जिसमें उच्च जातियों के व्यक्ति अपने से निम्न जातियों के व्यक्ति से अलग अपवित्र से बचने के लिए समाज से भ्रष्टाचार्य व्यक्तियों से अलग रहने की व्यवस्था की गई थी और उनके लिए अनेक प्रकार के नियंत्रणों के आधार पर भ्रष्टाचार्य निर्धारित की गई थी। इस निर्माणता निर्माणता के आधार पर भ्रष्टाचार्य व्यक्तियों से पीछे की समस्त सुख-सुविधाएँ हीन की जाती हैं और वे जीवन भर मानमान और अपमान का जीवन व्यतीत करते हैं। वैदिक एवं बौद्धिक काल में ही उन्हें चंडाल, डोम, मन्सज आदि नामों से पुकारा जाता है जबकि मगधी भारतन काल में दलित वर्ग को जानें लगा। सन् 1933 में डॉ० जमकर के प्रयासों से गांधीजी एवं डॉ० भम्बेडकर के मुख्य पुनः पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ जिसके अनुसार दलित वर्ग की विद्वुओं का दिन अंग स्वीकार किया गया। इसी समय उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गये। और गांधी जी ने उन्हें दलित वर्ग के स्थान पर हरिजन कहना शुरू किया। सन् 1935 के विधान में इन जातियों को विशेष सुविधा देने के लिए एक अनुसूची तैयार की गई तथा जिन जातियों को इस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया उन्हें वैधानिक अनुसूचित जातियों को जानें लगा। प्रमुख विद्वानों ने भ्रष्टाचार्य एवं भ्रष्टाचार्य जातियों परिभाषित किया है।

डॉ० एन० मजूमदार :- "भ्रष्टाचार्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निष्पक्षताओं का शिकार हैं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक दृष्टि से अलग की गई हैं।"

जी० एस० ब्रुसे के अनुसार :- "अनुसूचित जातियाँ वे समूह हैं जिनके नाम एक विशेष समय पर अलग अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है।"

कै० एन० शर्मा के अनुसार :- "भ्रष्टाचार्य जातियाँ वे हैं जिनके सम्बन्ध"





सं एक व्यक्ति भावि हो जाए और उसे पति होने का कारण कुछ कुछ काम करने पड़े।

### ✓ अस्पष्टता के उत्पत्ति के कारण

1. विविध Responability for पुरुष चवित्य  
 1. प्रजातीय कारण :- पुरुषों तथा मजूमदारों ने प्रजातीय विभिन्नता को अस्पष्टता की उत्पत्ति का एक मुख्य कारण माना है। प्रत्येक प्रजाति साधारणतः अपने आपको अन्य प्रजातियों से अलग मानती है। अतः एक प्रजाति किसी अन्य प्रजाति पर विजय प्राप्त कर लेती है, तब विघ्नः अपने को उच्च तथा अन्य प्रजाति को निम्न समझने लगती है। इन्हीं - भार्यन लोग मात्र में विजय का रूप में आए और वहीं के विभिन्न मूल निवासियों को अपने से हीन समझा तथा उन्हें दास या दस्यु कहा। ऐसी लोगों को अपने सम्पर्क और धार्मिक पूजा संस्कार आदि से दूरी - भार्यन लोगों ने प्रथम स्वयं और निम्न जाति के रूप में सामाजिक स्थिति प्रदान की। डॉ० मजूमदार के अनुसार :- तथाकथित दलित जमिनियों की निर्माणकारी संस्कार सम्बन्धी नहीं है बल्कि इसका आधार मूलः प्रजातीय और सांस्कृतिक भिन्नता है। इन भिन्नताओं के कारण प्रथम की वारिष्ठा हीरे-हीरे इतनी बलवती होती गयी है कि इन लोगों को अलग और इनके पैरों को छुगि सम्झ जाने लगा अतएव प्रजातीय भिन्नता अस्पष्टता की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है।

2. धार्मिक कारण :- धर्म में निर्वैध पाया जाता है। धर्मव्यक्तियों को कुछ कार्यों को करने की आज्ञा देता है और कुछ को करने पर निर्वैध लगाता है। जिन कार्यों या पैरों को छुगि सम्झा गया, उनको करने वाले लोगों को अस्पष्टता या अलग माना जाने लगा। म्यांमार में कष्ट खोदने का कार्य देकरने वाली उत्पत्ति जाति से लोग छुगा करते हैं और उसके सम्पर्क से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। इनके अनुसार निर्वैध अस्पष्टता की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। धर्म में पवित्रता और छुगि का भी विशेष महत्व पाया जाता है। करीब - करीब सभी समाजों में ऐसा माना जाता है कि धर्म से





संस्कृतियों के उच्च

संस्कृतियों के उच्च जातियों की निर्मोक्षताएं

1. धार्मिक निर्मोक्षताएं :- संस्कृतियों पर इनके निर्मोक्षताएं लादे ही गई हैं। इन लोगों को मंदिरों में पवित्र, नदी बागी के प्रयोग, पवित्र स्थलों पर जानें तथा अपने ही घर पर देवी-देवताओं का पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें वेदों तथा कान्त्य धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन एवं सर्वथा की भांति नहीं दी गई। इन्हें अपने सम्बन्धियों के स्वा, सार्वजनिक सम्मान तथा पर जलाने की भी स्वीकृति नहीं दी गई। हिन्दुओं की मंजूर किए गए कि वे अपने धार्मिक जीवन से संस्कृतियों से प्रयुक्त करें। संस्कृतियों को पूजा-अर्चना, मांगवत मजन, किर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया। प्रालयनों को उनके यहाँ पूजा, श्राद्ध आदि की और मंड आदि की भांति नहीं दी गई। संस्कृतियों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण उनके लिए विभिन्न संस्कारों की आवश्यकता नहीं की गई। हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थों में 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिला है। इनमें से अधिकंश विद्या आरंभ अथवा उपनयन संस्कार और चूड़ा कर्म जैसे प्रमुख संस्कारों की इन्हें भांति नहीं दी गई है।

2. सामाजिक निर्मोक्षताएं :- संस्कृतियों की इनके सामाजिक निर्मोक्षताएं रही हैं इन्हें हिन्दुओं के साथ सामाजिक सम्पर्क रखने और उनके सम्मेलनों, गोष्ठीयों, पंचायतों, उत्सवों एवं समारोहों में भाग लेने की भांति नहीं दी गई है। इन्हें उच्च जातियों के हिन्दुओं के साथ खान-पान का सम्बन्ध रखने से वंचित रखा गया है। उच्च जातियों द्वारा काम में ली जानें वाली पशुओं का प्रयोग इन्हें नहीं दिया गया। अच्छे कपड़े एवं सोने के आभूषण नहीं पहनने दिया गया है। लुकानदार इन्हें खाना नहीं देने, छाँची इन्हें छुपें नहीं छौं, नाई ही उनके खल नहीं बनाते, इन्हें अन्य हिन्दुओं के



सामाजिक स्वीकृति वस्त्रों का पवित्र होना पूजा, अनुष्ठान या मंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि पूजा की सामग्री को अपवित्र वस्त्रों के सम्पर्क से दूर रखा जाता है। छुलना की इसी कारण के कारण छुलाने वाली चीजों को कर्न-वाले लोगों के सम्पर्क से बचा गया और उन्हें अस्पृश्य समझा गया। भारतीय समाज में मूल मंत्र - मन्त्र एवं मन्त्र जानवरों को छानने वाले लोगों को इसी कारण अक्षय या अस्पृश्य माना गया।

8. सामाजिक कारक :- समाज में प्रथाओं, रिवाजों, रीतियों, रूढ़ियों तथा संस्थाओं का सामाजिक नियन्त्रण एवं उसके स्थापन के रूप में काफी महत्व पाया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार पर सामाजिक प्रथाओं एवं रूढ़ियों का बृहत् प्रभाव होता है। जब व्यवहार का कोई प्रकार सामाजिक रूढ़ि के रूप में प्रचलित हो जाता है तो वह काफी समय तक चलता ही रहता है। यही वजह अस्पृश्यता के सम्बन्ध में रही है। समाज में कुछ प्रथाओं को अपवित्र एवं छुलाने माना जाने लगा और धीरे-धीरे अस्पृश्यता की प्रथा सामाजिक रूढ़ि बन गई। परिणाम यह हुआ कि उच्च जातियों के लोग अस्पृश्यों के सम्पर्क से बचने का प्रयत्न करने लगे। जिससे स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि स्वयं अस्पृश्य माने जाने वाले लोग भी उनके सम्पर्क में आने से बचना शुरू करके अपने-अपने छुलाने वाले धीरे-धीरे अस्पृश्यता का समाज में चलना अधिक प्रभावित पाया कि अस्पृश्य को देखने या इनकी द्वारा फक पड़ने मात्र से उच्च जातियों के अपवित्र होने की बात कही गई। इससे स्पष्ट है कि अनेक कारणों ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।